विधायक क्लब में आयोजित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार व अन्य।

हिन्दुस्तान 23-06-17

जिन्हें जमीन मिली, उन्हें मिलेगा इंदिरा आवास

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

जिन जिलों में भूमिहीनों को सरकार की तरफ से जमीन दी गई है, उन्हें इंदिरा आवास भी अनिवार्य रूप से मुहैया कराना है। इसी प्रकार वैसे महादलित परिवार जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन देकर इंदिरा आवास देना है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने अप्रैल में ही सभी जिला को आदेश जारी किया था। परंतु इतने महीने बाद भी अभी तक किसी जिले से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके मद्देनजर विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन महादलितों को जमीन मिल गई है, उन्हें 31 जुलाई तक इंदिरा आवास आवंटित करने का आदेश दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक जिन भूमिहीनों को सरकार की तरफ से जमीन दी गई है, उसकी सूची सीओ तैयार करेंगे। इसके बाद सूची बीडीओ के पास भेजी जाएगी। ताकि संबंधित व्यक्ति के नाम की जांच बीपीएल सूची के आधार पर कर ली जाए। इसके बाद बीडीओ इस सूची के आधार पर वैसे लाभुकों को पहले इंदिरा आवास मुहैया कराएंगे, जिनका नाम प्रतिक्षा सूची में आ चुका है। जिनका नाम इस सूची में नहीं आया है, उन्हें आवास उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। जिन महादलितों का नाम इस सूची में है, लेकिन बीपीएल सूची में नाम नहीं है, उनका नाम बीपीएल सूची में जोड़ा जाएगा और इंदिरा आवास की पूरक प्रतिक्षा सूची तैयार की जाएगी। इसी तरह सूची तैयार कर भूमिहीन महादलितों को प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

आदेश जारी

- ग्रामीण विकास विभाग की महादलित परिवारों के लिए योजना
- जिन महादलित परिवार के पास जमीन नहीं है, उसे जमीन देकर दिया जाएगा आवास